फर्द अहकाम

नामन्ती बनाम सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

संख्या 30/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/9/24	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. [illegible] के कारण पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~तलबी / जवाब~~ दिनांक 23/9/24 को पेश हो।	
	23/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24/9/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	24/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। पत्रावली में उपलब्ध रा.रि., नक्शा व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस को मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रा.वाद अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। निर्णय शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] करके तथा बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(1/2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
30 / 2024	07 / 03 / 2024	24.09.2024

1. कमली देवी सैनी पत्नि श्री गंगाराम सैनी आयु 63 साल जाति माली निवासी ग्राम धूलारावजी, तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान ।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमाशंकर शर्मा : — वकील प्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट
बाबत् रिकार्ड दुरूस्ती

—:निर्णय :—

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता श्री रमाशंकर शर्मा के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की शामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 2.3000है0 ग्राम धुलारावजी पटवार हल्का धुलारावजी तहसील आंधी में स्थित है जिसे इस प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी लिखा गया है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/36 स्थित है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 299 के साबिक खसरा नम्बर 263 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा स्थित है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि वादग्रस्त के 1/4 भाग का 5/45 भाग अर्थात 5 बिस्वा भूमि को माधोलाल पुत्र मूलचन्द से जरिये विकय पत्र कय किया था किसी प्रकारके गै0मु0चाह का कय नही किया। उसी अनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। हाल किये गये सैटलमेंट में साबिक खसरा नम्बर 263 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 299 रकबा 2.3000है0 किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.0100है0 किस्म गै0मु0चाह बनाये गये। उक्त भूमि वादग्रस्त के कयशुदा हिस्सा 5/45 दर हिस्सा 1/4 का नामान्तकरण भी प्रार्थीया के नाम तस्दीक कर दिया गया जो सत्य व सही है। परन्तु जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व जमाबन्दी के खाते की सम्पूर्ण शामलाती भूमि खसरा नम्बर 139, 298, 299 कुल रकबा 3.3200है बिस्वा में 1/36 हिस्सा अंकित कर प्रार्थीया के हिस्से की भूमि को बढा दिया है जिसका राजस्व कर्मचारियो को किसी प्रकार का कोई विधिक हक अधिकार नही है। प्रार्थीया शामलाती रूप से आज भी वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 263 के नवीन खसरा नम्बर 299 के 5 बिस्वा भूमि पर पूर्वानुसार ही काबिज काश्त है। राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 139 व 298 में प्रार्थीया का नाम अंकित कर देने का कोई विपरित प्रभाव प्रार्थीया के हक अधिकारों पर नही पडता है। अतः ग्राम धुलारावजी के हाल सैटलमेंट मे बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 139 रकबा 1.0100है, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 299 रकबा 2.3000है0 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी को प्रार्थीया के हक मे खोले गये नामान्तकरण व विकयपत्र के अनुसार खसरा नम्बर 139, 298 में से प्रार्थीया का नाम व हिस्सा विलोपित कर प्रार्थीया के जरिये विकयपत्र कयशुदा भूमि रकबा 5 बिस्वा का हिस्से का अंकन खसरा नम्बर 299 में किया जाकर दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक / आर.टी. / 2024 / 424 दिनांक 08.05.24 द्वारा जवाब / रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट / जवाब में निवेदन किया कि वर्तमान मे ग्राम धुलारावजी स्थित खाता सं0 54 एवं खसरा नम्बर 139, 298, 299 किता 3 रकबा 3.32है0 जो कि कमली देवी पत्नि गंगाराम, जगदीश पुत्र नहन्या, पांची पत्नि राधेश्याम, माधोलाल पुत्र मूलचन्द, रामकल्याण पुत्र नहन्या, लक्ष्मी पत्नि नहन्या व लल्लू पुत्र मूलचन्द, के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। एवं वर्तमान में उपरोक्त जमाबन्दी में प्रार्थीया का हिस्सा 1/36 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा ग्राम धुलारावजी स्थित हाल खसरा नम्बर 299 रकबा 2.30है0 साबिक खसरा नम्बर 263 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा में नामा0 सं0 838 स्वीकृत दिनांक 17.05.18 द्वारा खातेदार माधोलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/4 से प्रार्थीया कमलीदेवी पत्नि गंगाराम हिस्सा 5/45 दर हिस्सा 1/4 भूमि का कय किया था। वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 299 रकबा 2.30है0 के साबिक खसरा नम्बर 263 रकबा 2.30है0 में से नामा0 सं0 838 दिनांक 17.05.18 द्वारा विकता माधोलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/4 जाति माली से हिस्सा 1/4 का 5/45 अर्थात 1/36 भूमि का कय उपरोक्त प्रार्थीया द्वारा किया गया था। परन्तु साबिक खसरा नम्बर 205 रकबा 4 बीघा व 263 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 298, 299, 139 रकबा 3.32है0 का एक ही शामलाती खाता होने के कारण सहवन से नवीन जमाबन्दी सेग्रीगेशन के दौरान उक्त नामा0 सं0 838 दिनांक 17.05.18 को केवल खसरा नम्बर 299 रकबा 2.30है0 में से कम न करके खाते के अन्य खसरा नम्बरान 298, व 139 में भी उक्त नामा0 838 दिनांक 17.05.18 का अमल दरामद हो गया। जो कि सहवन से त्रुटि है जबकि केवल हाल खसरा नम्बर 299 रकबा 2.30है0 में प्रार्थीया का हिस्सा 1/36 अमल दरामद होना सही होता है। मुताबिक नामा0 सं0 838 दिनांक 17.05.18 से प्रार्थीया कमलादेवी पत्नि गंगाराम जाति माली का हाल खसरा नम्बर 299 रकबा 2.30है0 में हिस्सा 1/36 व हाल खसरा नम्बरान 298 व 139 में प्रार्थीया का हिस्सा शून्य अमल दरामद होना उचित होता है।

वकील प्रार्थीया व पैरोकार की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम धुलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 139, 298 में से प्रार्थीया का नाम विलोपित किया जावें तथा खसरा नम्बर 299 में विकय पत्र व नामा0 सं0 838 दिनांक 17.05.18 अनुसार रकबा 5 बिस्वा का हिस्सा प्रार्थीया के नाम अंकन किया जाकर के वर्तमान राजस्व जमाबन्दी को दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ